

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम सूरजगढ़

राजस्थान सरकार बनाम विक्रम सिंह पुत्र श्री भगवानसिंह


किस्म मुकदमा धारा दावा 177

मुकदमा न० 62/2021
दिनांक 25.03.2022

आदेश

प्रार्थना पत्र समरी ट्रायल से प्रभावित है। बहस सुनी गई। मनन किया गया। अतः भूमि खेत ख०न० 1295 रकबा 2.53 है० स्थित ग्राम सूरजगढ़ तहसील सूरजगढ़ में राजकीय पैरोकार की रिपोर्ट, फर्द मौका का अवलोकन किया गया। प्रतिवादी ने एक शपथ पत्र पेश किया जिसमें शपथपूर्वक बयान दिये है की वह सम्बन्धित नगरपालिका में कनवर्जन करवाना चाहता है। अतः वाद वादीगण तहसीलदार सूरजगढ़ को 90ए आरटी एक्ट के तहत अप्रार्थीगण को समुचित अवसर देते हुए अविलम्ब कार्यवाही करने हेतु रिमाण्ड किया जाता है। यदि प्रतिवादी 90 दिवस में सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त सम्परिवर्तन आदेश पेश नहीं करता है तो भूमिधारी तहसीलदार सूरजगढ़ अप्रार्थीगण के विरुद्ध विधिसम्मत कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे।


आदेश खुल्ले न्यायालय में सुनाया गया।



(दिपांशु सांगवान)

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन उप जिला कलक्टर
सूरजगढ़

यह निर्णय आज दिनांक 25.03.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय की मुद्रा से खुल्ले न्यायालय में सुनाया गया।



(दिपांशु सांगवान)

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन उप जिला कलक्टर
सूरजगढ़